संख्या-599/2018/952/22-2-2018-17(43)/2006

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी ऊर्फ रमजानी, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21770/प्रोबे0-5-दया0(बैठक-15-05-2018) (70-80) दिनांक-14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी ऊर्फ रमजानी, निवासी-ग्राम-सांखनी, थाना-जहांगीराबाद जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण शव दफनाने को लेकर दिनांक 01.02.1989 को 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेय अस्त्रों व धारदार हथियारों से मारकर 11 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302,149,148, 307, 332, के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 10.08.1992 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2018 तक 26 वर्ष 08 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 34 वर्ष 04 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी बल्लू (बन्दी संख्या-7301) पुत्र श्री हुसैन तकी ऊर्फ रमजानी, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-599/2018/952(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in